

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी-

परशुराम धानका

आर.ए.एस.

मिसल नम्बर

तारीख दायरा

तारीख निर्णय

54 / 2015 / प्रा.पत्र / 2015

12.06.2015

28.07.2022

मदनलाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.....प्रार्थी

बनाम

1-श्री देवलाल गुर्जर पुत्र श्री रंग लाल गुर्जर दूध विक्रेता निवासी हुंवालिया पोस्ट पगारा तह. हिण्डोली जिला बूंदी राज.

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एफएसएसए एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार उप.।

2-अप्रार्थी एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित ।

:-निर्णय:-

दिनांक 28.07.2022


संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 31.10.2015 को समय 09:12 एएम पर पेट्रोल पम्प चौराहा के पास देवली जिला टोंक पर पहुंचा वहां पर श्री देव लाल गुर्जर पुत्र श्री रंग लाल गुर्जर दूध विक्रेता मोटरसाईकिल पर एक कांसे के चरे 25 लीटर क्षमता वाले में 15 लीटर मिश्रित दूध वास्ते आम जनता को विक्रय करने हेतु आये हुए थे, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री देव लाल गुर्जर ने स्वयं को दूध विक्रेता बताया एवं कांसे के चरे में रखे दूध को मिश्रित दूध होना बताया। एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र नहीं होना जाहिर किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मोटरसाईकिल पर लटके कांच के चरे को उतार कर उसमें रखे मिश्रित दूध का निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री देव लाल गुर्जर को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री देव लाल गुर्जर व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह मिश्रित दूध वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 2 लीटर खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 2 लीटर मिश्रित दूध को चार खाली साफ व सूखी कांच की शिशियों में 500-500 मिली. भरा एवं प्रत्येक कांच की शिशी में 40-40 बूंदें 40 प्रतिशत विलयन वाली फार्मेलिन बतौर परिरक्षक डालकर प्रत्येक कांच की शिशी को एयरटाइट बंद किया एवं चारों भाग हेतु चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-913 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक



1920


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टॉक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-913 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टॉक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./15/1299 दिनांक 17.04.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट स. एल.एस./86/एक्ट/2015/84 दिनांक 18.02.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया गया मिश्रित दूध अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता/फर्म के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 06.08.2015 को श्री अजय सिंह सोलंकी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं दिनांक 26.05.2016 को जवाब पेश कर बहस हेतु समय चाहा परन्तु अभिभाषक अप्रार्थी को कई अवसर देने के बावजूद भी कोई बहस नहीं की गई और ना ही अप्रार्थी स्वयं न्यायालय हाजा में उपस्थित हुए। अतः परोकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस मिश्रित दूध का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने प्रस्तुत जवाब एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया मिश्रित दूध का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर शास्ति रूपये 75,000/- (अक्षरे पचहत्तर हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 28.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

दिनांक 28.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(परशुराम धानुका)
न्यायालय अजमेर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टॉक-राज0